17 व्यापार अथवा पेशे से लाभ और प्राप्तियाँ

Profit & Gains from Business or Profession

17.1 व्यापार एवं पेशे से आशय :

(अ) व्यापार (Business) धारा 2(13) – व्यापार में शामिल है – किसी भी प्रकार का व्यवसाय (Trade), वाणिज्य (Commercial) एवं निर्माण (Maintenance), या इसी प्रकृति का कोई भी साहस या उपक्रम।

(ब) पेशा (Profession) – सामान्य रूप से पेशे से आशय ऐसे आर्थिक कार्यों से है, जिनके लिये विशिष्ठ ज्ञान या शारीरिक मानसिक योग्यता की आवश्यकता होती है।

जैसे – वकील, अंकेक्षक, कर सलाहकार, डॉक्टर, दलाल, कमीशन ऐजेन्ट, बीमा एजेंसी आदि।

17.2 व्यापार अथवा पेशे शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य आय : व्यापार अथवा पेश से लाभ एवं प्राप्तियों में निम्न शामिल है

- ☞ इसके अंतर्गत वस्तु के क्रय–विक्रय, निर्माण, मूर्ति, आर्थिक सेवायें तथा पेशों एवं कार्यों से लाभ एवं प्राप्तियॉ आदि।
- ☞ व्यापार अथवा पेशे से प्राप्त क्षतिपूर्ति या कोई भुगतान तथा साक्षेदारी फर्म से प्राप्त कोई वेतन, ब्याज आदि।
- ☞ सट्टे के व्यवहारों से प्राप्त आय,(परन्तु सट्टे के व्यवहारों से हानि सामान्य आय से अलग रखी गई है)।
- ☞ शेयर प्रतिभूतियों के क्रय–विक्रय यदि व्यापार के रूप में किया जाता है, तो लेन–देन के लाभ या हानि की गणना इस शीर्षक में की जाएगी, (लेकिन शेयरों से प्राप्त लाभॉश इस शीर्षक के अंतर्गत आय नहीं मानी जाएगी)।
- ☞ उपरोक्त के अलावा व्यापारिक संघो की आय, कीमेन बीमा पालिसी की रकम, आयात–निर्यात के संबंध में कुछ विशिष्ठ प्राप्तियॉ सहायता, दलाली, कमीशन आदि।

17.3 व्यापार अथवा पेशे से लाभों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य :

- ☞ करदाता द्वारा स्वयं व्यापार चलाना आवश्यक नही है, उसकी ओर से अन्य कोई भी व्यक्ति व्यापार चला सकता है।
- ☞ व्यापार वैध हो या अवैध, दोनो ही प्रकार के व्यापारिक लाभ एवं प्राप्तियॉ इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगें, जैसे – सट्टे, तस्करी के व्यापार के लाभ।
- ☞ व्यापार अथवा पेशे के शीर्शक में हानि को भी मान्य किया जाता है, तथा इसका समायोजन अन्य शीर्षों से होने वाली आय से किया जाता है, तथा समायोजित नही होने की स्थिति में आगामी वर्षों में होने वाली व्यापार की आय से समायोजन के लिए आगे ले जाया जा सकता है।
- ☞ अनुमानित लाभों या काल्पनिक लाभों पर कर नही लगता ।

17.4 अस्वीकृत कटौतियॉ : व्यापार अथवा पेशे के लिए होने वाले व्ययों में से, कुछ मुख्य निम्नलिखित व्यय, आय में से कटौती योग्य नही होते :

प्रत्यक्ष करों का भुगतान: आयकर तथा धन कर, के लिए किया गया भुगतान तथा इनसे संबंधित कोई अर्थदंड एवं ब्याज।

पूंजीगत व्यय : स्थायी संपत्तियों (भूमि, भवन, कार आदि) के लिये किया गया पूंजीगत व्यय।

अर्थदण्ड : किसी भी प्रकार का अर्थदण्ड, चाहे वह प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष करों, वैध–अवैध व्यापार से संबंधित हो।

पूॅजीगत हानि : किसी पूॅजीगत संपत्ति को बेचने से होने वाली हानि।

व्यक्तिगत व्यय : करदाता के व्यक्तिगत व्यय, घरेलू व्यय, जीवन बीमा प्रीमियम, आदि व्यय।

रिश्तेदारों को भुगतान : यदि करदाता द्वारा व्यापार अथवा पेशे के अंतर्गत किसी रिश्तेदार या सहयोगी संस्था को उचित राशि से अधिक भुगतान किया जाता है, तो ऐसी राशि।

स्वयं की पूॅजी पर ब्याज : यदि व्यापार का स्वामी, स्वयं की पूॅजी या ऋण पर कोई ब्याज, खाते में डेबिट करता है, तो ऐसी राशि ।

रोकड़ में भुगतान : धारा 40A(3) के तहत व्यापार में एक समय में, एक व्यक्ति को, किसी व्यय का कोई भुगतान रू. 20,000 रू. से अधिक होने पर, क्रास चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन यदि ऐसे भुगतान नगद में किया जाता है, तो ऐसा भुगतान का पूरा 100% भाग अस्वीकृत होगा, यह दिनांक 1 अप्रेल 2007 के बाद किये जाने वाले खर्च पर लागू होगा।

17.5.स्वीकृत कटौतियां (Expressly Allowed Deduction धारा 30 से 37)

कटौती योग्य खर्च : व्यापार अथवा पेशे के लिए होने वाले व्ययों में से, कुछ मुख्य निम्नलिखित व्यय, आय में से कटौती योग्य होतें हैं अर्थात् निम्न मदों में किए गए खर्चों को आय से कटौतियों (Deduction) के रूप में घटाया जा सकता है।

धारा	स्वीकृत कटौतियां (Expressly Allowed Deduction)
धारा 30	भवन संबंधित व्यय – व्यापार अथवा पेशा के उपयोग में आने वाले भवन का किराया, मरम्मत, रखरखाव, स्थानीय कर, बीमा आदि संबंधित व्यय।
धारा 11	व्यापार पेशा के काम में आने वाली मशीन, प्लांट, फर्नीचर के मरम्मत तथा संपत्तियों के बीमा आदि संबंधित व्यय
धारा 32	ह्रास (Depreciation) – व्यापार अथवा पेशा में प्रयुक्त होने वाली संपत्तियों, मशीन, प्लांट, फर्नीचर, वाहन, अमूर्त संपत्तियों (पेटेण्ट, कापीराईट, ट्रेडमार्क) आदि के अपलिखित मुल्य पर (निर्धारित दर से ह्रास (Depreciation) की कटौती निम्नलिखित शर्तों की पूरी होने पर मान्य है • संपत्ति पर स्वामित्व करदाता का होना चाहिए। • संपत्ति व्यक्तिगत कार्यों के उपयोग में नही आनी चाहिए। • यदि संपत्ति उपयोग की अवधि, उस वर्ष में 180 दिन से कम है तो 50 प्रतिशत ह्रास की कटौती • संपत्ति का वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन (31 मार्च) विद्यमान होना आवश्यक है।
धारा 35 (AC)	सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के योजनाओं पर किया गया व्यय।
धारा 35(CCA)	अनुमोदित ग्राम विकास कार्यक्रम पर किया गया व्यय।
धारा 35(CCB)	प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण या वन रोपण हेतु किसी अनुमोदित संस्था को दी गई राशि ।
धारा 35 (D)	प्रारंभिक व्यय :– व्यापार प्रारंभ के पूर्व किये गये व्यय पर, 5 बराबर वार्षिक किश्तों में, आगामी 5 वर्ष तक कटौती मान्य होगी। परंतु प्रारंभिक व्यय, प्रोजेक्ट की लागत का 5% से अधिक नही होना चाहिए।

1
Wednesday, August 31, 2016 7:53:32 PM

धारा 36	अन्य कटौतियॉ ☞ माल की क्षति विनाश की जोखिम से बचने के लिए कराये गये बीमा की प्रिमीयम, ☞ कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा प्रिमीयम, तथा कर्मचारियों को दिया गया बोनस एवं कमीशन, ☞ अनुमोदित ग्रेच्युटी फण्ड में नियोक्ता का अंशदान, ☞ प्रमाणित प्राविडेण्ट फण्ड या सुपरएन्युएशन फण्ड में नियोक्ता का अंशदान, ☞ व्यापार अथवा पेशे से संबंधित डूबत ऋण (Bad Debt) (परन्तु यदि पुराना स्वीकृत डूबत ऋण वापस मिला हो, उसे व्यापार की आय मानी जाएगी) ☞ कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों में परिवार नियोजन के प्रोत्साहन के संबंध में किया गया आयगत व्यय, पूर्णरूप से स्वीकृत तथा पूंजीगत व्यय 5 वर्षों में, 1/5 भाग प्रतिवर्ष की दर से स्वीकृत। ☞ अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय आदि को अनुसंधान के लिये दिये गये राशि का 125 % कटौती के रूप में मान्य। चाहे अनुसंधान करदाता के व्यापार से संबंधित ना हो। ☞ व्यापार अथवा पेशे से संबंधित दिया गया दान या चंदा।
धारा 37	करदाता के व्यापार या पेशे के संचालन में आवश्यक व्ययों के संबंध में सामान्य कटौतियॉ निम्नलिखित है। ☞ क्रय–विक्रय अथवा निर्माण के संबंध में व्यय, रॉयल्टी, व्यापार के लिए आर्डर हेतु कमीशन। ☞ व्यापार को चलाने के संबंध में दैनिक सामान्य व्यय, तथा वैधानिक व्यय जो व्यापार या पेशे से संबंधित हो। ☞ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन तथा ट्रेडमार्क की रक्षा के लिए, किये गये कानूनी व्यय। ☞ अतिथि एवं अवकाश गृहों,ग्राहकों एवं व्यापार के अतिथियों के मनोरंजन/आवभगत पर व्यय। ☞ नया टेलीफोन लगवाने का व्यय एवं डिपॉजिट की रकम। ☞ अभिकर्ताओं को कमीशन, हर्जाना, आदि
धारा 37	☞ उद्घाटन, दीपावली आदि पर व्यय जैसेः–रंगाई,पोताई, रोशनी, कर्मचारियों को इनाम आदि। ☞ उपरोक्त व्ययों के अलावा अन्य कोई ऐसा व्यय को व्यापार या पेशे से संबंधित हो, स्वीकृत माना जाएगा। ☞ विक्रय कर तथा विक्रय कर विलंब सेस भुगतान करने पर ब्याज के रूप में अर्थदण्ड, स्थानीय (व्यावसायिक) कर, अपील के व्यय की रकम, आबकारी शुल्क के भुगतान के लिए आयोजन। ☞ कर्मचारी को नौकरी से हटाने के लिए दी गई क्षतिपूर्ति, कर्मचारी को दुर्घटना की दशा में दी गई क्षतिपूर्ति तथा पेंशन ग्रेच्युटी की रकम, श्रम कल्याण पर किया गया व्यय, व्यवसाय के लिए अनिवार्य चंदे की रकम। व्ययों के अलावा कुछ हानियॉ ऐसे होती है जो व्यापार या पेशे की आय में से कटौती योग्य होती है ☞ कर्मचारी द्वारा रोकड़ का गबन करने पर हानि,चोरी डकैती आदि से रोकड़ या माल की हानि ☞ युद्ध, प्राकृतिक विपदा आदि कारणों से रहतिये का नष्ट होना, अग्रिम रकम डूबने से हानि शर्ते :– धारा 37 के अंतर्गत छूट प्राप्त करने के लिए व्यय को, निम्न प्रकृति का नही होना चाहिएः– जो धारा 30 से 36 तक के अंतर्गत आता हो, व्यय का पूरी तरह आयगत होना, व्यय करदाता के व्यवसाय से संबंधित होना, व्यय करदाता का निजी ना होना, व्यय गत वर्ष में देय होना, व्यय किसी भी कानून के अंतर्गत वर्जित।
धारा 37(2B)	विज्ञापन (आयगत व्यय) पर किया गया व्यय पूर्णतः स्वीकृत होता है, परंतु राजनैतिक पार्टी की स्मारिका, ब्रोसर, या पाम्पलेट आदि पर प्रकाशित विज्ञापन (पूंजीगत व्यय) पर किया गया व्यय पूर्णतः अस्वीकृत होता है। कर सलाहकार, अंकेक्षक, वकील आदि को पारिश्रमिक के रूप में, दी गई सम्पूर्ण राशि कटौती योग्य होगी।
धारा 43B	कुछ व्यय वास्तविक भुगतान (वित्तीय वर्ष में) की दशा में ही कटौती योग्य ☞ किसी भी प्रकार के सरकारी कर तथा संस्थागत ऋण पर ब्याज। ☞ कर्मचारी से संबंधित फण्ड में अंशदान तथा कर्मचारियों को देय बोनस कमीशन।

17.6 खाते रखना (Maintenance of Accounts) किसे आवश्यक है ?

व्यापार अथवा पेशे से कर योग्य आय की गणना का महत्वपूर्ण आधार करदाता द्वारा रखे जाने वाले खाते होतें हैं। पेशेवर व्यक्तियों एवं व्यापारियों के लिए खाते रखने का आधार (Basic) धारा 44AA के तहत भिन्न–भिन्न है, जो निम्नानुसार है :–

विशिष्ट पेशेवर व्यक्ति (Professsionals) के लिए

ऐसे व्यक्ति जो, कानून (Law), चिकित्सा (Medicine), इन्जीनियरिंग, आर्किटेक्ट, खाते(Accounting), तकनीकी सलाहकार (Technical Consultancy), इंटीरियर डेकोरेशन, फिल्म कलाकार (Film Artist) अधिकृत प्रतिनिधि (Authorised Representative), कंपनी सेक्रेटरी या सूचना प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में पेशा करतें है, विशिष्ट पेशे की श्रेणी में आतें हैं।

पेशा करने वाले ऐसे व्यक्ति, जिनकी वित्तीय वर्ष के दौरान 1,50,000 रू. से अधिक प्राप्ति होने का अनुमान है, या लगातार पिछले तीन वर्षों में से किसी एक वर्ष की वार्षिक प्राप्तियाँ 1,50,000 रू. से अधिक रही हो, इन्हे विशिष्ट पुस्तकें रखना आवश्यक है। इन्हें अपने खाते केवल इस तरह से रखने होंगें, जब आवश्यक हो कर निर्धारण अधिकारी उनकी कर योग्य आय की सही गणना कर सकें।

पेशा करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनकी वित्तीय वर्ष के दौरान 2,00,000 या उससे अधिक प्राप्ति होने का अनुमान है, या उससे लगातार पिछले तीन वर्षों में से किसी एक वर्ष की वार्षिक प्राप्तियॉ 2,00,000 रू. से अधिक रही हो, तो उनके लिए निर्धारित पुस्तकें तथा प्रपत्र निम्न प्रकार है :

- ☞ रोकड़ बही (Cash Book)
- ☞ खाता बही (Ledger)
- ☞ चिकित्सकों के लिए अतिरिक्त पुस्तकें तथा प्रपत्र
- ☞ खर्चों के लिए प्राप्त बिल या रसीद (500 रू. से अधिक), 25 रू. से अधिक बिलों तथा रसीदों की कार्बन प्रतियॉ।
- ☞ जर्नल (Journal), यदि खाते व्यापारिक पद्धति पर रखे जातें हैं।

नोटः Books of A/c & Document को कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के बाद, छः वर्षों तक, सुरक्षित रखना आवश्यक है।

व्यापारियों एवं अन्य पेशेवर व्यक्तियों के लिए

ऐसे व्यक्ति, जिनकी वित्तीय वर्ष के दौरान या लगातार पिछले तीन वर्षों में व्यापार की आय 1,20,000 रू. से अधिक रही हो, या रहने का अनुमान हो अथवा कुल बिक्री या सकल प्राप्तियॉ 10 लाख रू. से अधिक हो, या होने का अनुमान हो, उन्हें खातें इस प्रकार रखने चाहिए, कि कर निर्धारण अधिकारी उनकी कर योग्य आय की सही गणना कर सके तथापि आयकर विभाग द्वारा कौन–कौन से खातें रखना आवश्यक है, निर्धारित नही किया गया है, फिर भी निम्न खातें, पुस्तकें तथा प्रपत्र रखे तो बेहतर होगा :–

- ☞ रोकड़ बही (Cash Book), खाता बही (Ledger)
- ☞ खर्चों के लिए प्राप्त बिल या रसीद
- ☞ जर्नल, यदि लेख व्यापारिक पद्धति पर रखें जातें हैं।
- ☞ बिलों तथा रसीदों की कार्बन प्रतियॉ

नोटः Books of A/C & document को कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के बाद, छः वर्षों तक, सुरक्षित रखना आवश्यक है। यदि करदाता निर्धारित खातें नही रखतें हें, उन्हे धारा 271A के तहत 25,000 रू. की पेनाल्टी लगाई जा सकती है।

अन्य व्यापारियों एवं पेशेवर जो उपरोक्त श्रेणी में नही आतें, उन्हे उपरोक्तानुसार खातें रखना आवश्यक नही। परन्तु रोकड़ बही (Cash Book), खाता बही (Ledger) अवश्य रखना चाहिए। फुटकर व्यापारी, कांट्रेक्टर, व ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय करने वाले व्यक्ति जो अनुमानित आय योजना धारा 44 के तहत (देखें पृश्ठ पर 35 वर्णित) अपनी आय निर्धारित दरों से कम आय क्लेम करतें हैं, तो उन्हें भी उपरोक्तानुसार सभी खातें रखना होगा।

1
Wednesday, August 31, 2016 7:53:32 PM

17.7 लेखा विधि का आधार (Methods of Accounting) धारा 145

व्यापार अथवा पेशे से आय की गणना हेतु, करदाता को यह विकल्प रहता है, कि या तो वह वाणिज्यिक पद्धति (Mercantile System) खाता रखे या रोकड़ पद्धति (Cash System) से। परन्तु करदाता जो पद्धति एक बार अपना लेता है, वही पद्धति उसे भविष्य में भी अपनानी होती है। वाणिज्यिक पद्धति में करदाता लाभ या हानि की गणना, उपार्जित, अनुउपार्जित, अदत्त, पूर्वदत्त आदि समायोजन को ध्यान में रखकर करता है। जबकि रोकड़ अपने खाते रोकड़ की वास्तविक प्राप्ति एवं भुगतान पर ही करता है।

उदाहरण 2 एक करदाता (कमीशन एजेन्ट) ने वर्ष 2012–13 में 2,10,000 रू. कमीशन प्राप्त किया, जिसमें वर्ष 2011–12 में होने वाले कार्य के 14,000 रू. कमीशन शामिल है, इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति से 26,000 रू. कमीशन अर्जित हो चुका है, लेकिन भुगतान 31.03.2013 तक प्राप्त नही हुआ है। इस करदाता ने दुकान किराए के रूप में वित्तीय वर्ष के 8 माह के किराया का भुगतान 8,000 रू. कर दिया है, जबकि 4 माह का किराया देना अभी शेष है, तो आयकर की गणना करें।

हलः करदाता अपने विकल्पानुसार आय की गणना, निम्न दोनो पद्धतियों में से, किसी पद्धति में कर सकता हैः–

वाणिज्यिक पद्धति (Mercantile System)	रोकड़ पद्धति (Cash System)
1. कमीशन =वर्ष में वास्तविक प्राप्ति –अग्रिम +अर्जित 2,22,000 = 2,10,000 – 14,000 + 26,000	1. कमीशन = वित्तीय वर्ष में वास्तविक प्राप्त 2,10,000
2. किराया = वर्ष में वास्तविक भुगतान + देना बाकी 12,000 = 8,000 + 4,000	2. किराया = वित्तीय वर्ष में वास्तविक भुगतान 8,000
3. कुल आय = आय(कमीशन से)–खर्च (किराए के रूप में) 2,10,000 = 2,22,000 – 12,000	3. कुल आय = आय (कमीशन से) – खर्च (किराए) में = 2,10,000 – 8,000 = 2,02,000 रू.
4. कुल आय पर देय आयकर = 1,000 रू.	4. कुल आय पर देय आयकर = 200 रू.

17.8 बही खातों का अनिवार्य अंकेक्षण (Compulsory Audit of Accounts) कब जरूरी ?

आयकर अधिनियम की धारा 44AB के तहत, यदि किसी व्यापारी करदाता की वित्तीय वर्ष में कुल बिक्री या सकल प्राप्तियॉ 1 करोड़ रू. तथा पेशे से आय की दशा में कुल प्राप्तियॉ 50 लाख से अधिक हो, तो बही खातों का चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट से अंकेक्षण कराना अनिवार्य है। यदि करदाता फुटकर (Retail) व्यापारी है, और उसकी बिक्री 200 लाख रू. तक, या इससे कम है तो उसे अनुमानित आयकर जमा योजना के तहत आयकर का निर्धारण कर, आयकर चुकाना होगा। यदि वह इस दर से कम आय या हानि दर्शाता है, तो हिसाब किताब का अंकेक्षण कराना अनिवार्य होगा। यही नियम ठेकेदारों, एवं ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटरों के अंतर्गत आने वाले करदाताओं पर भी लागू होंगें।

17.9 घिसाई भत्ते की दरें (Rate of Depreciation)

विवरण	वर्ष 2004–05 में	वर्ष 2005–06 से लागू
व्यवसाय से संबंधित बिल्डिंग	10 %	10 %
फर्नीचर	15 %	10 %
मशीनरी और प्लांट	25 %	15 %
मोटर कार	20 %	15 %
कम्प्यूटर	60 %	60 %

1
Wednesday, August 31, 2016 7:53:32 PM